न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03/104/2024	16.12.2024	10.01.2025

उनवान

01. रामकिशन पुत्र बनेसिंह जाति नायक निवासी कस्बा रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर

.... प्रार्थी

बनाम

02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ

............................अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट)

निर्णय

प्रार्थी रामकिशन पुत्र बनेसिंह जाति नायक निवासी कस्बा रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता सं0 115 में स्थित हाल आ0ख0न0 1253 रकबा 0.02 हे0 गै0मु0 चाह व ख0न0 1254 रकबा 0.87 हे0 आराजी वाके ग्राम दोहली तह0 रामगढ जिला अलवर में स्थित है जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है जो आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित की जावेगी। उपरोक्त आराजी प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और उपरोक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई कब्जे काश्त रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 19.11.2024 उपरोक्त ख0न0 के नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की थी जिसमें ख0न0 1253 रकबा 0.02 हे0 गै0मु0 चाह व ख0न0 1254 रकबा 0.87 हे0 को उपरोक्त नक्शा ट्रेस में सही स्थान पर अंकित था। प्रार्थी ने इसके बाद दिनांक 29.11.24 को उपरोक्त ख0न0 के नक्शा ट्रेस की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त की। जिसमें दोनो खसरा नम्बरान की स्थितियों में फेरबदल कर दिया। जो 2 ऐयर आराजी गै0मु0 चाह थी उसके स्थान पर ख0न0 1254 अंकित कर दिया और जो रकबा 0.87 हे0 का था उसके स्थान पर ख0न0 1253 अंकित कर दिया। जो सरासर गलत है। राजस्व कर्मचारीयों की इस त्रूटी के कारण प्रार्थी को भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिससे प्रार्थी उपरोक्त नक्शा ट्रेस को दुरस्त कराने का अधिकारी है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को प्रार्थी के नक्शा ट्रेस में बदलाव करने का कोई कानूनी अधिकार नही था और उनकी भूल वश की गई त्रूटि का खामियाजा प्रार्थी को भुगतना पड रहा है। जिससे प्रार्थी हाल सम्वत 2058 के नक्शा ट्रेस को पूर्व नक्शा ट्रेस की भांती दुरस्त कराने का अधिकारी है। जैसा की प्रार्थना पत्र के साथा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से आयद व साबित है। प्रार्थी अपने इस नक्शा ट्रेस को दुरस्त कराने के लिए अप्रार्थी के यहां दिनांक 03.12.2024 को आवेदन किया तो उन्होने दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया और कहां कि आपके नक्शा दुरूस्ती के लि प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के यहॉ प्रस्तुत करना होगा। इसलिए दिनांक 03.12.2024 को प्रार्थी को यह बिनाएदावी मुखासमत पैदा हुई जिससे यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

10.1.25

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

उक्त प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार पक्षकार है इसलिए सरकार के विरूद्ध कार्यवाही करने पूर्व धारा 80 जा0दि0 का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल की में आता है जिसमे यह नोटिस देना आवश्यक नही है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड हाल नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शा ट्रेस के नुसार दुरूस्त करने के आदेश सादर फरमाये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है मुताबिक रिकॉर्ड आराजी खसरा नं0 1253 व 1254 वाके ग्राम दोहली अशोक कुमार गुरूचरणसिंह पि0 बनेसिंह हि0 1/2 जाति नायक सा. रामगढ खातेदार राहिन एसबीबीजे रामगढ व त्रिलोकसिंह, रामकिशन पि0 बनेसिंह हि0 1/2 जाति नायक सा. रामगढ खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। बन्दोबस्त सम्वत 2058 मे नक्शे में अंकित आराजी खसरा नं0 1253 व 1254 अपनी स्थान पर सही अंकित है। वर्ष 2018 में सैग्रीगेशन के दौरान कैडस्टल मैप बनने पर नक्शे में खसरा नम्बर 1253 के स्थान पर 1254 व 1254 के स्थान पर 1253 अंकित हो गया है। श्रीमान से निवेदन है कि राजस्थान सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक:राम/DILRMP/प.126/2021/3685 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार सैग्रीगेशन के दौरान नक्शे में दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत किये जाने के प्रावधान किया गया है। श्रीमान नक्शे में मुताबिक नक्शा बन्दोबस्त सम्वत् 2058 के अनुसार मुताबिक रिकॉर्ड रिपोर्ट पटवारी व भू0अ0नि0 के दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वाके ग्राम दोहली मुताबिक रिकॉर्ड आराजी खसरा नं0 1253 व 1254 वाके ग्राम दोहली अशोक कुमार गुरूचरणसिंह पि0 बनेसिंह हि0 1/2 जाति नायक सा. रामगढ खातेदार राहिन एसबीबीजे रामगढ व त्रिलोकसिंह, रामकिशन पि0 बनेसिंह हि0 1/2 जाति नायक सा. रामगढ खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। बन्दोबस्त सम्वत 2058 में नक्शे में अंकित आराजी खसरा नं0 1253 व 1254 अपनी स्थान पर सही अंकित है। वर्ष 2018 में सैग्रीगेशन के दौरान कैडस्टल मैप बनने पर नक्शे में खसरा नम्बर 1253 के स्थान पर 1254 व 1254 के स्थान पर 1253 अंकित हो गया है। राजस्थान सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक:राम/DILRMP/प.126/2021/3685 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार सैग्रीगेशन के दौरान नक्शे में दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत किये जाने के प्रावधान किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र आदेश क्रमांक/DILRMP/प.126/2021/3685 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार उक्त नक्शे में दुरूस्ती राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1253 व 1254 की नक्शे सम्बन्धित दुरस्ती की जावे। उक्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.1.25

उपखण्ड अधिकारी

रामगढ़ अलवर

उपखण्ड अधिकारी

रामगढ